नव भारत
राष्ट्रहित का प्रहरी 1934 से

दतिया में फिर कमल खिलेगा : सीएम

सड़कों पर भव्य रोड शो कर भाजपा के लिए समर्थन मांगा

नवभारत न्यूज

दतिया, 27 जुलाई. दतिया विधानसभा उपचुनाव के लिए प्रचार अभियान खत्म होने से कुछ घंटों पहले मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खण्डेलवाल के साथ आज दतिया की सड़कों पर भव्य रोडशो कर भाजपा प्रत्याशी आशुतोष तिवारी के लिए समर्थन मांगा. प्रचार के अंतिम दौर में दतिया पहुंचे मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने सर्वप्रथम माँ पीतांबरा के दर्शन किए और फिर रोड शो प्रारंभ किया. रोडशो के दौरान मुख्यमंत्री के स्वागत अभिनन्दन के लिए जनसैलाब उमड़ पड़ा. दतिया की सड़कों को भाजपा के झंडों, बैनरों से सजाया गया था.

यह रोड शो मां पीतांबरा शक्तिपीठ के पश्चिमी द्वार से शुरू होकर भैरो मंदिर बड़ी तिगैलिया तक निकाला गया. इस दौरान उनके साथ प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल भी मौजूद थे. इसके अलावा पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि, कार्यकर्ता तथा विभिन्न सामाजिक संगठनों के लोग भी शामिल हुए. 14 दिनों में यह तीसरी बार है जब मुख्यमंत्री दतिया पहुंचे. सीएम मोहन यादव ने आज सभा और जनसंपर्क के दौरान दावा किया कि डबल इंजन सरकार की नीतियों और कार्यकर्ताओं की एकजुटता से दतिया में एक बार फिर भाजपा की जीत होगी और कमल खिलेगा.

आज थम जाएगा चुनाव प्रचार

दतिया विधानसभा में 30 जुलाई को उपचुनाव के लिए मतदान होना है. चुनाव प्रचार कल 28 जुलाई को थम जाएगा, ऐसे में मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष के इस दौरे को भाजपा के शक्ति प्रदर्शन के रूप में देखा जा रहा है. कांग्रेस के राजेंद्र भारती की सदस्यता समाप्त होने से यह सीट रिक्त हुई है. कांग्रेस ने पूर्व विधायक और राजघराने से ताल्लुक रखने वाले घनश्याम सिंह को अपना प्रत्याशी बनाया है. वहीं भाजपा ने आशुतोष तिवारी को मैदान में उतारा है. माँ पीतांबरा के दर्शन व कार्यक्रमों के दौरान मंच पर पूर्व गृह मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा भी साथ नजर आए, और समर्थकों ने उनके समर्थन में जमकर नारे लगाए.

दतिया उपचुनाव में धनबल के दुरुपयोग का आरोप

विशेष संवाददाता

भोपाल, 27 जुलाई. मध्यप्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने सोमवार को दतिया विधानसभा उपचुनाव के प्रचार अभियान को तेज करते हुए भाजपा पर धनबल और प्रशासनिक तंत्र के दुरुपयोग के जरिए चुनाव को प्रभावित करने का आरोप लगाया. दतिया शहर के विभिन्न वार्डों में जनसंपर्क करते हुए उन्होंने मतदाताओं से कांग्रेस प्रत्याशी कुंवर घनश्याम सिंह के पक्ष में मतदान करने की अपील की.

जनसंपर्क के दौरान जीतू पटवारी ने आरोप लगाया कि उपचुनाव को प्रभावित करने के उद्देश्य से विधानसभा क्षेत्र में करीब 50 करोड़ रुपये लाए गए हैं तथा मतदाताओं को प्रति वोट 5,000 रुपये देने की कोशिश की जा रही है. उन्होंने मतदाताओं से किसी भी प्रकार के प्रलोभन को अस्वीकार कर लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करने का आग्रह किया. उन्होंने विजयपुर उपचुनाव का उल्लेख करते हुए दावा किया कि इस बार भी राज्य सरकार ने बड़ी संख्या में मंत्रियों को चुनावी जिम्मेदारी सौंपी है. उनका आरोप था कि सरकार विकास कार्यों के बजाय सरकारी मशीनरी के सहारे चुनाव जीतने का प्रयास कर रही है.

103 करोड़ के घोटाले में ईडी की चार्जशीट

नगर निगम फर्जी बिल मामला: 32 आरोपी बनाए

20 हजार पेज की शिकायत पेश

59 करोड़ की संपत्तियां जब्त

नव भारत न्यूज

इंदौर, 27 जुलाई. नगर निगम के फर्जी बिल घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शिकंजा और कस दिया है. करीब 103.42 करोड़ रुपए के फर्जीवाड़े के मामले में ईडी ने 32 आरोपियों के खिलाफ 20 हजार से अधिक पेज की अभियोजन शिकायत इंदौर की विशेष पीएमएलए अदालत में पेश की है. इसमें नगर निगम के अधिकारी, ठेकेदार, लोक निधि लेखा/रेजीडेंट ऑडिट कार्यालय के अधिकारी और अन्य निजी लोगों को आरोपी बनाया है.

ईडी अधिकृत जानकारी के अनुसार जांच में सामने आया कि नगर निगम के खजाने से राशि निकालने के लिए फर्जी बिल, जाली वर्क ऑर्डर, फर्जी माप पुस्तिका (एमबी), झूठे पूर्णता प्रमाण पत्र और अन्य दस्तावेज तैयार किए. कई ऐसे कामों के नाम पर भुगतान किया गया, जो या तो हुए ही नहीं थे या पहले ही पूरे हो चुके थे. ठेकेदारों और संबंधित अधिकारियों की मिलीभगत से फर्जी दस्तावेज तैयार कर निगम की राशि निकाली गई. घोटाले की रकम को नकद निकासी, अलग अलग खातों में ट्रांसफर और अन्य लेन देन के जरिए छिपाने का प्रयास किया. इस राशि का उपयोग संपत्तियां खरीदने और निजी खर्चों में भी किया.

क्या है मामला...

नगर निगम के कामों के नाम पर फर्जी बिल और दस्तावेज तैयार कर सरकारी राशि निकालने का मामला एमजी रोड थाने में दर्ज एफआईआर के आधार पर सामने आया था, इसके बाद ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के एंगल से जांच शुरू की थी.

20 ठिकानों पर छापे

ईडी ने मामले में अगस्त 2024 में इंदौर सहित 20 ठिकानों पर छापेमारी की थी. कार्रवाई के दौरान नकदी, बैंक बैलेंस, एफडी, डिमैट खाते और म्यूचुअल फंड सहित करीब 22.04 करोड़ रुपए की संपत्तियां जब्त या फ्रीज की गई थीं. इसके अलावा ईडी ने दो अलग अलग आदेशों के जरिए 52 अचल संपत्तियों को भी अटैच किया है. अटैच की गई संपत्तियों में मध्यप्रदेश और उत्तरप्रदेश स्थित मकान, प्लॉट, व्यावसायिक संपत्तियां और कृषि भूमि शामिल हैं. अब तक इस मामले में करीब 59.18 करोड़ रुपए की संपत्तियां जब्त, फ्रीज या अटैच की जा चुकी हैं.

घोटाले के कथित मास्टरमाइंड सहित 3 गिरफ्तार

ईडी ने जांच के दौरान घोटाले के कथित मुख्य आरोपी अभय सिंह राठौर, मोहम्मद जाकिर और राहुल बडेरा को पीएमएलए के तहत गिरफ्तार किया था. एजेंसी का आरोप है कि इनकी भूमिका फर्जी बिलों के जरिए राशि निकालने और मनी लॉन्ड्रिंग में महत्वपूर्ण रही है. ईडी ने अदालत से अटैच की गई संपत्तियों को जब्त करने की मांग की है. विशेष अदालत ने सभी आरोपियों को नोटिस जारी कर मामले में आगे की सुनवाई के लिए प्रकरण सूचीबद्ध किया है.

शुजालपुर की बेटी ने बढ़ाया प्रदेश का मान

तीन खिताब जीत चुकी सलोनी नारंग धाकड़

शुजालपुर, 27 जुलाई. देश की प्रतिष्ठित मिसेज इंडिया प्रतियोगिता में शुजालपुर की बेटी एवं बहू सलोनी नारंग धाकड़ ने शानदार प्रदर्शन करते हुए मध्यप्रदेश का गौरव बढ़ाया है. सलोनी ने प्रतियोगिता में टॉप 8 फाइनलिस्ट में स्थान बनाने के साथ ही तीन प्रतिष्ठित सब टाइटल अपने नाम किए.

सलोनी को मिसेज टॉप मॉडल, मिसेज फोटोजेनिक और मिसेज स्टाइल आइकन के खिताब से सम्मानित किया गया. देशभर से आई प्रतिभागियों के बीच उन्होंने आत्मविश्वास, व्यक्तित्व और मंच पर प्रभावशाली प्रस्तुति से निर्णायकों और दर्शकों का ध्यान आकर्षित किया.

हालांकि मुख्य खिताब किसी अन्य प्रतिभागी के नाम रहा, लेकिन सलोनी की उपलब्धि को प्रतियोगिता की उल्लेखनीय सफलताओं में माना जा रहा है. एक बेटी, बहू, पत्नी और मां की भूमिका निभाते हुए उन्होंने यह संदेश दिया कि दृढ़ संकल्प और मेहनत से हर सपना साकार किया जा सकता है. सलोनी की सफलता पर शुजालपुर में खुशी का माहौल है. परिजनों, मित्रों और शुभचिंतकों ने उनकी सफलता पर हर्ष व्यक्त किया है.

रविदास के विचारों पर चल रही भाजपा : सम्पतिया

सिंगरौली . भाजपा कार्यालय में संत शिरोमणि रविदास जी महाराज की 650वीं जयंती के पावन उपलक्ष्य में आयोजित होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण जिला स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया. कार्यक्रम में जिले की प्रभारी मंत्री संपत्तिया उइके मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहीं. कार्यशाला की अध्यक्षता भाजपा जिलाध्यक्ष सुंदर लाल शाह ने की. विशिष्ट अतिथि के रूप में राज्यमंत्री राधा सिंह मौजूद रहीं. मुख्य अतिथि ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा सदैव सामाजिक कल्याण और सद्भाव के निमित्त कार्य करती है.

रिश्वत लेते ग्राम रोजगार सहायक गिरफ्तार

जबलपुर, 27 जुलाई. लोकायुक्त ने बरगी थाना अंतर्गत ग्राम तिनसी में दबिश देकर ग्राम पंचायत भवन में पदस्थ ग्राम रोजगार सहायक को मकान की एनओसी के बदले 19,000 की घूस लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया। जिसके खिलाफ भ्रष्टाचार का मामला दर्ज कर लिया गया। कार्रवाई से हड़कंप मच गया है।

लोकायुक्त एसपी अंजू लता पटले ने बताया कि बरगी थाना अंतर्गत ग्राम तिनसी निवासी राजकुमारी परस्ते पति शिवदीन परस्ते, 36 वर्ष अपनी आबादी की जमीन पर मकान बनाना चाहती थीं। इसके लिए सरकारी पट्टा प्राप्त करनेउन्होंने तिनसी के ग्राम रोजगार सहायक दिलीप कुमार साहू पिता भूरेलाल साहू, 41 वर्ष से संपर्क किया। दिलीप साहू ने सीधे पट्टा देने से मना कर दिया और कहा कि पहले इसके लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करवाना होगा। आरोपी ने इस एनओसी को जारी करने के एवज में 20,000 की मोटी घूस की मांग की। पीड़िता रिश्वत की रकम नहीं देना चाहती थी, इसलिए उसने सीधे पुलिस अधीक्षक लोकायुक्त जबलपुर के कार्यालय पहुंचकर शिकायत दर्ज करा दी।

पंचायत भवन में बिछाया जाल, रंगे हाथ दबोचा

आज लोकायुक्त की विशेष टीम ने आरोपी को पकड़ने के लिए ग्राम पंचायत भवन तिनसी में जाल बिछाया। जैसे ही राजकुमारी परस्ते ने 19,000 की रिश्वत राशि आरोपी दिलीप कुमार साहू को सौंपी, वैसे ही आसपास सादे कपड़ों में तैनात लोकायुक्त के दल ने उसे दबोच लिया। लोकायुक्त टीम ने आरोपी दिलीप कुमार साहू के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर उसे हिरासत में ले लिया है

बदमाश पर लगा रासुका पुलिस ने गिरफ्तार कर जुलूस के साथ निकाली हेकड़ी

जबलपुर. 23 की उम्र में 20 अपराध करने वाले शातिर बदमाश लकी पटेल पर रासुका लगा दिया गया है। पुलिस ने उसे एनएसए के तहत गिरफ्तार कर जुलूस के साथ उसकी उसकी हेकडी निकाली और केन्द्रीय जेल भेज दिया है। बदमाश सोशल मीडिया पर चाकू, पिस्टल के साथ रील बना बदमाशी चमकता था जिस पर अब शिकंजा कर दिया गया है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अपराध जितेन्द्र सिंह ने बताया कि लकी पटेल पिता राजकुमार उर्फ झल्लू पटेल 23 वर्ष कछपुरा लार्डगंज का एक अपराधी प्रवृत्ति का युवक है जो वर्ष 2019 से अपराध घटित किये जा रहा है.

लॉजिस्टिक्स और वेयरहाउसिंग के हब के रूप में विकसित होगा मप्र

प्रशासनिक संवाददाता

भोपाल, 27 जुलाई. मप्र को देश के अग्रणी लॉजिस्टिक्स एवं वेयरहाउसिंग हब के रूप में विकसित करने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल करते हुए 29 जुलाई को नई दिल्ली स्थित नवीन मध्यप्रदेश भवन में स्टेकहोल्डर कंसल्टेशन राउंडटेबल ऑन लॉजिस्टिक्स का आयोजन किया जाएगा.

इस बैठक में उद्योग जगत, लॉजिस्टिक्स कंपनियों, निवेशकों तथा नीति-निर्माताओं के साथ मप्र लॉजिस्टिक्स नीति एवं योजना-2025 के प्रभावी क्रियान्वयन पर विस्तृत चर्चा होगी.

मप्र अपनी देश के मध्य में स्थित रणनीतिक भौगोलिक स्थिति, उत्कृष्ट सड़क, रेल एवं हवाई संपर्क तथा उद्योग-अनुकूल नीतियों के कारण देशभर में लॉजिस्टिक्स एवं वेयरहाउसिंग निवेश के लिए सबसे उपयुक्त राज्यों में तेजी से उभर रहा है. राज्य सरकार का उद्देश्य मप्र को पैन-इंडिया वितरण नेटवर्क का प्रमुख केंद्र बनाना है. राज्य में 5 लाख किलोमीटर से अधिक सड़क नेटवर्क, 46 से अधिक राष्ट्रीय राजमार्ग, 8 संचालित हवाई अड्डे, विशाल रेल संपर्क तथा आधुनिक लॉजिस्टिक्स अवसंरचना निवेशकों को आकर्षित कर रही है.

वरिष्ठ सचिव समिति का पुनर्गठन

भोपाल (प्रशासनिक संवाददाता) . राज्य शासन द्वारा वरिष्ठ सचिव समिति का पुनर्गठन किया गया है. सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी आदेश अनुसार समिति में मुख्य सचिव के साथ ही सचिव सामान्य प्रशासन, सचिव वित्त, सचिव विधि एवं विधायी कार्य, संजय दुबे अपर मुख्य सचिव नगरीय विकास एवं आवास(मुख्य सचिव द्वारा नामित) एवं अमित राठौर प्रमुख सचिव वाणिज्यिक कर समिति में विशेष आमंत्रित सदस्य होंगे. आदेश अनुसार विषय से संबंधित भारसाधक सचिव समिति में सदस्य एवं प्रस्तुतकर्ता होंगे.

विवाहित स्वेच्छा से संबंध बनाती है तो रेप नहीं

हाईकोर्ट ने दिए एफआईआर निरस्त करने के आदेश

जबलपुर, 27 जुलाई. केन्द्रीय कर्मचारी के द्वारा विवाहित महिला सहकर्मी के द्वारा रेप के आरोप में दर्ज कराई गयी एफआईआर तथा न्यायालय में लंबित प्रकरण को खारिज किये जाने की मांग करते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी.

हाईकोर्ट जस्टिस प्रमोद कुमार अग्रवाल की एकलपीठ ने सुनवाई के दौरान पाया कि महिला शिक्षित व विवाहित थी। वह याचिकाकर्ता के साथ पिछले चार साल से संबंध में थी। एकलपीठ ने अपने आदेश में कहा है कि बालिग स्वेच्छा से संबंध स्थापित करते है तो वह रेप की श्रेणी में नही आता है.

भोपाल निवासी केंद्रीय कर्मचारी की तरफ से दायर याचिका में कहा गया था कि विवाहित महिला सहकर्मी ने उसके खिलाफ छोला थाने में बलात्कार की एफआईआर दर्ज करवाई है। शिकायतकर्ता को आरोप है कि 10 अक्टूबर 2020 को घर बुलाकर अपीलकर्ता ने जूस में नशीला पदार्थ मिलाकर उसके साथ बलात्कार किया। आरोपी उसे शादी का प्रलोभन देकर विगत चार सालों से बलात्कार कर रहा था. एकलपीठ ने याचिका की सुनवाई के दौरान पाया कि दोनों के बीच जब रिश्ता शुरू हुआ, तब शिकायतकर्ता पहले से शादीशुदा थी और उसका नौ साल का बच्चा भी था।

शिकायतकर्ता ने अपने बयान में माना है कि कथित घटना के समय आरोपी को यह नहीं पता था कि वह शादीशुदा है, जबकि वह खुद जानती थी कि जब तक वह अपने पति से तलाक नहीं ले लेती, तब तक वह आरोपी से शादी नहीं कर सकती।

पैरामेडिकल विद्यार्थियों के हित में पंजीयन प्रक्रिया सरल : शुक्ल

- **एमपी सह-चिकित्सीय परिषद की 26वीं वार्षिक बैठक**
- **विद्यार्थियों के हित में विभिन्न विषयों पर किया गया मंथन**

भोपाल. 27 जुलाई. उप मुख्यमंत्री राजेन्द्र शुक्ल ने कहा कि पैरामेडिकल विद्यार्थी स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं. विद्यार्थियों के हितों की रक्षा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तथा समयबद्ध शैक्षणिक प्रक्रिया सुनिश्चित करना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है.

उन्होंने कहा कि पंजीयन एवं परीक्षा संबंधी प्रक्रियाओं को सरल एवं पारदर्शी बनाकर विद्यार्थियों को अनावश्यक परेशानियों से राहत दी जाये, जिससे उनका शैक्षणिक सत्र और भविष्य प्रभावित न हो. उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल की अध्यक्षता में मंत्रालय में मध्यप्रदेश सह-चिकित्सीय परिषद की 26वीं वार्षिक बैठक आयोजित हुई.

बैठक में आयुक्त लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा धनराजू एस., संचालक मनोज सरियाम, परिषद सदस्य डॉ. बीनू सिंह, रजिस्ट्रार डॉ. शैलोज जोशी, डिप्टी रजिस्ट्रार अंकित श्रीवास्तव सहित परिषद के अन्य सदस्य उपस्थित रहे. बैठक में पैरामेडिकल पाठ्यक्रमों से जुड़े विद्यार्थियों के समक्ष आने वाली व्यावहारिक समस्याओं, पंजीयन व्यवस्था, परीक्षा एवं परिणामों की समयबद्धता सहित विभिन्न विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई. उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने निर्देश दिए कि आगामी शैक्षणिक सत्र से सभी क्षेत्रीय विश्वविद्यालयों में पैरामेडिकल पाठ्यक्रमों की परीक्षाएं निर्धारित समय-सीमा में आयोजित हों तथा परीक्षा परिणाम भी समय पर घोषित किए जाएं. बैठक में परिषद की पंजीयन प्रक्रिया को अधिक सरल, पारदर्शी एवं छात्र हितैषी बनाने के महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए.

बैठक में शैक्षणिक सत्रों के दौरान संस्थानों की मान्यता संबंधी प्रगति की भी समीक्षा की गई. वर्ष 2025-26 में प्राप्त आवेदनों के आधार पर 211 संस्थानों को मान्यता प्रदान की गई है, जबकि निर्धारित मानकों का पालन नहीं करने वाले संस्थानों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की गई है. परिषद की गतिविधियों, छात्र हित में किए जा रहे सुधारों, पंजीयन प्रक्रिया के सरलीकरण, ऑनलाइन सेवाओं, संस्थानों की मान्यता तथा सेवा प्रदाय व्यवस्था की विस्तृत जानकारी रजिस्ट्रार डॉ. शैलोज जोशी ने प्रस्तुत की.

हीलाहवाली कोर्ट और आयोग की सिफारिश के बाद भी फैसला लंबित!

दिव्यांगों की पदोन्नति पर एमपी में अब भी ब्रेक

सुरभि तिवारी

जबलपुर, 27 जुलाई. मध्यप्रदेश में दिव्यांग अधिकारी-कर्मचारियों को पदोन्नति में आरक्षण नहीं मिलने का मुद्दा प्रशासनिक और कानूनी बहस का विषय बन गया है. कर्मचारी संगठनों का दावा है की केंद्र सरकार और कई राज्यों में दिव्यांग कर्मचारियों को पदोन्नति संबंधी लाभ दिए जा रहे हैं, जबकि मध्यप्रदेश में अब तक इस संबंध में स्पष्ट नीति नहीं बन सकी है.

दिव्यांग कर्मचारियों की पदोन्नति में आरक्षण से जुड़े इस मामले में मध्यप्रदेश के आयुक्त नि:शक्तजन अजय खेमरिया सामान्य प्रशासन विभाग को सिफारिश भेज चुके हैं. वहीं, इस संबंध में दायर डब्ल्यूपी क्रमांक 26003/2024 पर मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में सुनवाई जारी है. सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया की दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम-2016 के तहत पदोन्नति में आरक्षण लागू करने के लिए आवश्यक नियम बनाना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है. बावजूद इसके, अब तक इस दिशा में कोई स्पष्ट व्यवस्था नहीं की गई है. राज्य शासन ने जवाब प्रस्तुत करने के लिए समय मांगा है. फिलहाल मामला न्यायालय में विचाराधीन है.

कर्मचारी संगठनों का आरोप है कि केंद्र सरकार के साथ छत्तीसगढ़, राजस्थान और हरियाणा जैसे राज्यों में दिव्यांग कर्मचारियों को पदोन्नति संबंधी लाभ मिल रहे हैं, जबकि मध्यप्रदेश में यह मामला वर्षों से लंबित है. उनका कहना है कि इससे समान अवसर और सेवा अधिकार प्रभावित हो रहे हैं.

निर्णय का इंतजार: अब सवाल यह है की जब आयुक्त नि:शक्तजन शासन को सिफारिश भेज चुके हैं, मामला हाईकोर्ट में विचाराधीन है और कर्मचारी संगठन लगातार मांग उठा रहे हैं, ऐसे में मध्यप्रदेश में दिव्यांग कर्मचारियों की पदोन्नति में आरक्षण पर अंतिम निर्णय कब होगा? इस सवाल के जवाब का हजारों अधिकारी-कर्मचारियों को बेसब्री से इंतजार है.

इनका कहना है

दिव्यांगों को पदोन्नति दिए जाने के मामले में सामान्य प्रशासन विभाग को हमारी ओर से सिफारिश भेजी जा चुकी है।

अजय खेमरिया, आयुक्त नि:शक्तजन, भोपाल

जब केंद्र और कई राज्यों में यह व्यवस्था लागू है तो मध्यप्रदेश में इसे लागू करने में देरी क्यों हो रही है? सरकार को शीघ्र स्पष्ट नीति बनानी चाहिए।

रामनरेश पटेल, प्रदेश अध्यक्ष, दिव्यांग शासकीय अधिकारी-कर्मचारी कल्याण संघ

तकनीकी कारणों का हवाला देकर दिव्यांग कर्मचारियों के अधिकार टालना उचित नहीं है। सरकार को शीघ्र निर्णय लेना चाहिए।

सचिन यादव
प्रांतीय संगठन सचिव

दिव्यांगजनो के प्रमोशन में आरक्षण मामले में विभागीय स्तर पर आवश्यक कार्रवाई जारी है।

सोनाली वायंगणकर, प्रमुख सचिव, सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, मप्र

दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम-2016 और न्यायालय के निर्देशों के अनुरूप पात्र दिव्यांग कर्मचारियों को पदोन्नति में आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए।

समदर्शी तिवारी, वरिष्ठ अधिवक्ता एवं याचिकाकर्ता